संख्या: 13 /2025/1358/तीस-1-2024

प्रेषक,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक: 04 फरवरी, 2025

विषय: बस स्टेशन पाली, जनपद-हरदोई का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-1016 बी/डीए/पूर्व/24-79जेईटी/वि0/22-23, दिनांक 25.11.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बस स्टेशन पाली, जनपद हरदोई का नवनिर्माण कार्य कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-04/2023/85/तीस-1-2022 दिनांक 14.02.2023 द्वारा धनराशि ₹192.47 लाख (रूपये एक करोड़ बानवे लाख सैंतालीस हज़ार मात्र) (सेंटेज, जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में ₹96.235 लाख (रू0 छियानवे लाख तेईस हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त निर्माण कार्य हेतु यू0पी0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के पत्र दिनांक 25.11.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोंपरान्त बस स्टेशन पाली, जनपद-हरदोई का नवनिर्माण कार्य कराए जाने हेतु स्वीकृत लागत ₹192.47 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि ₹96.235 लाख के 75 प्रतिशत उपभोग के आधार पर द्वितीय किश्त एवं अंतिम किश्त के रूप में धनराशि ₹96.235 लाख (रू0 छियानवे लाख तेईस हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
3. परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 4 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
7. प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम का होगा।
8. प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
9. कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जायेगा।

10. स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 तथा परिवहन अनुभाग-1 एवं 3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।
13. परिवहन निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित बस स्टेशन/डिपो पीपीपी मॉडल पर विकसित किये जाने वाले बस स्टेशन/डिपो की सूची में सम्मिलित नहीं है।
14. पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 04/2023/85/तीस-1-2022 दिनांक 14.02.2023 की शर्तें यथावत रहेंगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-043 लेखा शीर्षक 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशासकीय संख्या–E-9-419-X-2024-25-दिनांक: 31-1-2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
के0 पी0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या: 13 /2024/1358(1)/तीस-1-2024, तददिनांक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5 प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
8. वित्त नियन्त्रक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
9. नियोजन अनुभाग-4/उप सचिव, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3 ।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/-
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।